कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

E-mail id :-
eepwdcddugadda@gmail.com
eepwddugadda@rediffmail.com
Phone & Fax No :-01382-251221

पत्रांक ...3766/19 मा० /   दिनांक ..24/8/22..

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौंन वन प्रभाग
कोटद्वार गढ़वाल

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा, दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (On line no. FP/UK/ROAD/ 152108/ 2022)

संदर्भ :– कार्यालय–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/49/2022/एफ0 सी0/543 दिनांक 15/07/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वांछित 22 बिन्दुओं की सूचना का निराकरण निम्नानुसार है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचनायें	सूचना का बिन्दूवार निराकरण
1.The total cost of the project is 408.5 lacks. However , the administrative and financial approval is provided only 61.00 lacks. The State Government is requested to submit the proposal with fresh administrative and financial approval.	प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2550/III(2)/16- 19 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 04 अक्टूबर 2016 के द्वारा रू0 60.80लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। 408.5 लाख नहीं है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतियों में संलग्न है।)
2.The State Government is requested to confirm from the user Agency if the civil construction measures provided in the Geologist recommendations are incorporated in, the estimate. A copy of the estimate is also required to be provided.	नियमानुसार मोटर मार्ग के निर्माण का विस्तृत आगणन वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तैयार किया जाना है।
3-Details of the non-forest land are not provided online at para A(I)(ix), para B in Part I.State Government is requested to provided the requisite information at para A(1)(ix),para B in part –I and wherever required.	Online para A(1)(ix),para B in part –I में एवं सभी जगह जहां आवश्यकता है, गैर वन भूमि (निजी नाप भूमि)2-6325 है0 को दर्ज कर दिया गया है।
4-Village wise break-up of the proposed area is not provided at B 2.3 in Part-I . Village wise break-up of area is required to be provide at B 2.3 in Part-I .	B 2.3 in Part-I में ग्रामवार भूमि का प्रकार और क्षेत्रफल दर्शा दिया गया है।
5-Component wise break-up viz, road, muck dumping area, etc. Of the prorosed project area is not provided at B 2.4. The State Government is requested to provide the necessary information.	B 2.4 in Part-I में Component wise break-up मोटर मार्ग व मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल अलग–अलग दर्ज कर दिया गया है।

6-Incorrect KML. file is uploaded in online Para-C (ii)(b). As per this KML file the proposed area is located in some part of Uttar Pradesh State Government is requested to upload the correct KML file.	प्रस्तावित परियोजना के संरेखण की सही के0एम0एल0 फाईल Para-C (ii)(b)में आनलाइन अपलोड कर दी गई है।
7-At para D in Part-I, Site inspection report is uploaded in place of justification for loating the project in forest land and details of alternatives examined. State Government is requested to upload the correct information.	पार्ट–। के पैरा डी–। में परियोजना के औचित्य का प्रमाण–पत्र अपलोड कर दिया गया है। पूर्व में गलत अपलोड की गयी स्थल निरीक्षण आख्या हटा दी गयी है।
8-Detail of alternatives examined is not submitted at para D (ii) a and the reason provided for the same is also not acceptable. State Government is requested to	पार्ट–। के पैरा डी–।। में वैकल्पिक समरेखन जिस पर विचार किया गया था मैप में दर्शा कर अपलोड कर दिया गया है।
9-Proceedings of Village Level Committee (VLC) meetings of the villages Pulinda and Katal under under FRA are not uploaded. State government is requested to upload the same at para K. However , the same way be uploaded prior to the stage -II approval .	ग्राम पुलिण्डा एवं काटल की ग्राम समितियों की बैठक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतियों में संलग्न है।)
10-KML file of area proposed for diversion is uploaded in place of KML file for CA area at para L in part I as well as at para 13 in part II. State Government is requested to upload the correct KML file.	पार्ट–। के पैरा एल–सी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गयी है।
11-Total five villagers are mentionrd to be benefited from the road but location of only three villagers is marked on the KML file. State Government is requested to mark the location of all the five villages that are likely to be benefitted from the proposed road.	पार्ट–1 के पैरा सी में मोटर मार्ग की सही के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गयी है। ग्राम पुलिण्डा पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है लेकिन इस नये मार्ग बनने से ग्राम पुलिण्डा के सामाजिक / व्यवसायिक हित अन्य 4 ग्रामों से होने के कारण ग्राम पुलिण्डा भी लाभान्वित ग्रामों में सम्मिलित है। इस प्रकार मोटर मार्ग के संरेखन की के0एम0एल0 में ग्राम पुलिण्डा एवं ग्राम काटल को दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।
12- Muck dumping sites are not marked in the KML file .State Government is requested to mark the location of the muck dumping sites on the KML file of the proposed diversion area.	मलवा निस्तारण स्थल के0एम0एल0 फाईल में पीले बिन्दुओं से एवं मानचित्र में काले बिन्दुओं से निर्देशांक की सूची सहित दर्शाया गया है जो पार्ट–। के पैरा–सी में अपलोड किया गया है।
13-CA site suitability certificate uploaded at para L (iv) (h) is not authenticated by DFO. Authenticated CA site suitability certificate is required to be submitted	para L (iv) (h) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा प्रमाणित कर अपलोड किया गया है, जो पूर्व ही पत्रावली के पृष्ठ संख्या–80 में संलग्न है।
14-The details filled in the part II, at para 8(i) and 8(ii) regarding the presence of the wildlife in the proposed area are contradictory . Same may be revised and submitted accordingly by the DCF.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
15-As per the information provided in the part II of the proposal, the proposal alignment of the road falls in the shivali Elephant reverse and the Rajaji Tiger Reserve , hence the details of the Wildlife Clearance taken from the SBWL and NBWL is required to be provided along with the mitigation measures to prevent the adverse effect on the wildlife.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
16-It has been mentioned at para 8 that elephant proof solar fencing is proposed to control human-wildlife conflict in the area .State Government is requested to submit the seif-explanatory plan , if any, prepared in this regard.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

17-CA scheme uploaded online is not legible , State Government is requested to upload a clear copy of the CA scheme.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
18-The girth wise and species wise enumeration of the trees provided at para 4 in part II do not match with the details provided in format 15.4. State Government is requested to uploiad the correct species wise and girth wise enumeration of trees.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
19-In the land schedule the width of the proposed road is mentioned as 9 meters. State Government is requested to restrict the same upo to 7 meters only and submit the revised land schedule accordingly.	मुख्य अभियन्ता स्तर–। लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 1715/01 व0भू0–सामान्य–10 दिनांक 2.12.2010 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 9 मी0 चौड़ाई ;त्ँद्ध में ली गयी है एवं मार्ग में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गिनती 7 (ROW) मीटर चौड़ाई में की गयी है। आदेश की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।
20-In view of the point No.19 the tree enumeration list is also required to be revised considering the road width as 7 meters only.	बिन्दु संख्या–19 के अनुसार।
21-On the perusal of the bar chart uploaded in part II, it is noticed that the Van panchayat land and the Non-forest land are shown in the same colour. State Government is requested to doi the needful in tis regard.	बार चार्ट में सिविल भूमि को पीले रंग से वन पचायत भूमि को बैंगनी रंग से व आरक्षित वन भूमि को हरे रग से एवं निजी नाप भूमि को भूरे रग से सही नाप के अनुसार दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतियों में संलग्न है।)
22-Blank NPV sheet is found uploaded in part I. State Government is requested to submit/ upload the correct copy of NPV calculation sheet as per the new duly authenticated by the competent authority.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से कियां जाना है।

अतः अनुरोध है कि परियोजना के निर्माण हेतु कुल न्यूनतम 1.8675 है0 आपेक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सूचना अग्रसारित करनें का कष्ट करें।

(डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

पत्रांक 3766 /19 नि0 दि0– 24/8/22

प्रतिलिपिः–1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3– सहायक अभियंता/अपर सहायक अभियंता नि0ख0, लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

(8)

सूचना सं 1

12:01 HPFAX 2719925 Page 1

संख्या-2550/III(2)/16-19(प्र0आ0)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत 02 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षे0का0, लो0नि0वि0, देहरादून /पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई 5.20 किमी लागत ₹ 61.00 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 61.00 लाख (₹ इकसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन मे एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00

Photocopy attested
AJ

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
खण्ड लो० नि० वि०
(गढ़वाल)

Photocopy attested

Photo copy attested

–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–815(A)/XXVII/(2)/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या– 2550 /III(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(एल0एस0 बागती)
उप सचिव

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
[illegible] (गढ़वाल)

Photocopy attested

Photo copy attested

Photo copy attested

(10)

संख्या– 2550 / III(2) / 18–13(प्रा०जा०) / 2018 दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत अन्बीवाला गुरुद्वारा (रिंग रोड) दिव्य विहार नजदीक राजीव नगर देहरादून तक सड़क निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.20	0.20	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–1196/2015 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा तच्छाली स्यालिंगा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	60.80	0.10
	कुल :–	5.20	61.00	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

Photo copy attested

छायाप्रति सत्यापित

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
(गढ़वाल)

Photo copy attested

सूचना सं. 21

मार्ग का नाम → पुलिण्डा तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किलोमीटर SCALE - 1CM = 100Mtr.

बार-चार्ट

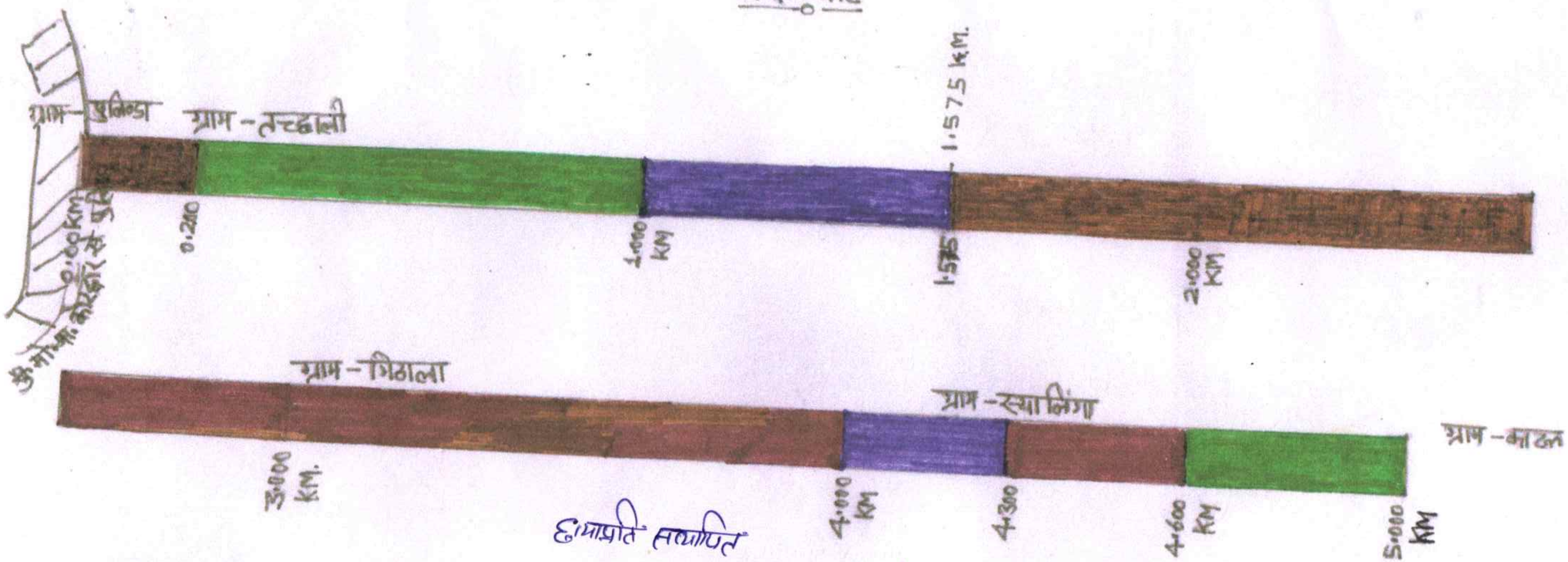

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	संकेत
1-	आरक्षित भूमि	
2-	वन पंचायत भूमि	
3-	नाप भूमि	
4-	सिविल वन भूमि - शून्य	

(हर्षवर्धन नौटियाल)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ....
तहसील .... (पौड़ी गढ़वाल)

Additional Assistant Engineer
C D PWD Dugadda

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
दुगड्डा

प्रभागीय वनाधिकारी
लैंसडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

बिन्दु सं०-19

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्रांक– 1715 /01व0भू0–सामान्य–10 दिनांक– 02/12/10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (ग0/कु0 क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषयः– स्वीकृत मोटर मार्गो के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौडाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री खड़क सिहं बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशो का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तानन्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौडाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौडाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ–साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खीचंतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है ।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी मार्ग निर्माण मे वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी । उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

प्रतिलिपिः– श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र सं0 3553 दिनांक 16.11.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, 12वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

6.12.10

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
(गढवाल)

अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

सूचना सं. - 1

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम सभा का नाम– काटल ग्राम –काटल
तहसील–कोटद्वार जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि **1.080** हे0 सिविल वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि **0.7875** हे0) **1.8675 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा – काटल के ग्राम – **काटल** द्वारा दिनांक 13-8-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग** दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

(इन्द्र मोहन राणा)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0 ख0 दुगड्डा
पौड़ी गढ़वाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
ह0
प्रधान ग्राम पंचायत काटल
दि0..........
वि0ख0 दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)

D:\ANIL MY\NEW VAN BHUMI PRARUP\TCCHALI-SYALINGA.docx (Page-56)

सहायक अभियन्ता
... लो० नि वि०
...वाल)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

ग्राम –काटल दिनांक 13-08-2022

कम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मंगल सिंह	मंगल सिंह
2-	बचन सिंह	[signature]
3-	सावन सिंह	सावन सिं.
4-	रोशन सिंह	रोशन सिंह
5-	सावन सिंह	सावन सिंह
6-	जसवन्त सिंह	जसवन्त सिंह
7-	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
8-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9-	हेमन्ती देवी	हेमन्ती देवी
10	दिपक नेगी	दीपक सिंह
11-	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
12	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
13	रामप्रसाद	राम प्रसाद
14	मनोज सिंह	M.S. Chachy
15	अनील सिंह	अनील सिंह

[signature]

(इन्द्र मोहन राणा)
खण्ड विकास अधिकारी
वि० ख० दुगड्डा
पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत काटल
ह0 दीपक
दि0........
वि0ख0 दुगड्डा

D:\ANIL MY\NEW VAN BHUMI PRARUP\TCCHALI-SYALINGA...

प्रस्तावित सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
...... (गढ़वाल)

सूचना - सं- 1

<u>प्रपत्र–23</u>

<u>परियोजना का नाम :–</u> **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

ग्राम सभा का नाम– पुलिण्डा ग्राम –**पुलिण्डा**
तहसील–कोटद्वार जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि **1.080** हे0 सिविल वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि **0.7875** हे0) **1.8675 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा – पुलिण्डा के ग्राम – **पुलिण्डा** द्वारा दिनांक 12-08/2012 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग** दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	दीक्षा मेहरा	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	क्षेत्र........................	मुहर सहित
	विकास खण्ड-दुगड्डा	प्रधान ग्राम सभा पुलिण्डा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

D:\ANIL MY\NEW VAN BHUMI PRARUP\TCCHALI-SYALINGA.docx (Page-54)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

ग्राम –पुलिण्डा दिनांक 12-08-2022

क्रम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जयपाल सिंह	[signature]
2-	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
3	मानसिंह	मानसिंह
4-	चन्द्रमोहन सिंह	चन्द्रमोहन सिंह
5.	बिमल सिंह	बिमल सिंह
6-	दलबीर सिंह	दलबीर सिंह
7.	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र सिंह
8.	पंकज सिंह	पंकज सिंह
9.	योगम्बर सिंह	योगम्बर सिंह
10	यशवन्त सिंह	यशवन्त सिंह
11	सीता देवी	सीता देवी
12.	जगदीश	जगदीश
13.	नवीन सिंह	नवीन सिंह
14	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

[stamp: प्रधान ग्राम सभा पुलिण्डा, ह0 अनीस ... वि0 दुगड्डा ... कोटद्वार]

[signature]
दीक्षा मेहरा
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र..........................
विकास खण्ड-दुगड्डा

स्थाना छोटे सत्यापित

[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)